उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111
फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

पत्र संख्या 2284/52/निर्भया फण्ड/कम्प्यू/2015 दिनांक 11 फरवरी, 2015

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

महिला सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी (NCR) की सभी बसों में सीसीटीवी लगाये जाने के निर्देश अनिवार्य रूप से प्राप्त हुये हैं । इसकी प्राथमिकता के दृष्टिगत निगम बसों में मै0 ई–स्मार्ट द्वारा सीसीटीवी कैमरा (टैबलट) फिटमेन्ट कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. मै0 ई–स्मार्ट को सैधान्तिक अनुमोदन के आधार पर NCR परिक्षेत्र की बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु कार्यादेश दिया जाना है, जिसका अनुबन्ध संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक व प्रस्तावक के मध्य होगा तथा रिवन्यू शेयर हेतु मासिक न्यूनतम आय का आगणन क्षेत्र द्वारा कर प्रस्तावक को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु रू0 4000/– प्रति बस प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक का भुगतान रिवेन्यू शेयर माडल पर उस बस की गत वर्ष की उस माह की आय से प्राप्त वृद्धि के आधार पर निम्नवत होगा।

   –यदि बसों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती, तो कोई भुगतान देय नहीं होगा।

   –यदि बसों में रु. 4000/– प्रतिबस प्रतिमाह तक की वृद्धि होने पर वास्तविक वृद्धि प्रतिबस रु. 4000/– प्रतिबस प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक का भुगतान किंया जायेगा। इससे अधिक की आय वृद्धि पूर्णतः निगम की होगी।

2. यह अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि का होगा तथा संतोषजनक सेवा एवं परस्पर सहमति से इसी क्षेत्र द्वारा विस्तारित करना सम्भव होगा।

3. प्रणाली को संचालित रखना तथा क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष एवं क्षेत्र द्वारा निर्धारितं व्यवस्था से संबंधित डिपों के कम्प्यूटर पर इसका फीड, लिंक उपलब्ध कराना संस्था का दायित्व होगा। संस्था द्वारा अनुबन्ध अनुसार कार्यवाही करा सकने, अपवादित स्थिति को छोड़कर, किसी सेवा के अनुपलब्ध के आधार पर सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट अथवा कटौती क्षेत्र द्वारा निर्धारित की जायेगी।

उक्त कार्यवाही तत्काल क्रियान्वित कर मुख्यालय सुचित करें।

संलग्नक: यथोक्त

(एच.एस.गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0/प्रावि0/प्रशा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– प्रबन्धक (एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(एच0एस0 गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com